पत्रांक : 9386 / उ.सू.आ. / 2012
दिनांक : 04 / 07 / 2012

प्रिय

आयोग के संज्ञान में सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 08 जून, 2012 को जारी शासनादेश संख्या 1802 लाया गया है जिसमें लोक सूचना अधिकारियों / प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे लोक सेवकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (ए.सी.आर.) की छायाप्रति मांगने पर "आवेदक को सूचना प्रकटन न करने के आधार स्वरूप केन्द्रीय सूचना आयोग" के दिनांक 13 / 07 / 2006 के आदेश की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कर दें।"

उक्त शासनादेश के साथ श्री गोपाल कुमार बनाम मेजर जनरल गौतम दत्त व अन्य संबंधी वाद में केन्द्रीय सूचना आयोग के दिनांक 13 / 07 / 2006 के आदेश के कुछ अंश भी समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन, समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड, समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड तथा समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को भेजे गए हैं ताकि वे अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारी को तत्संबंधी निर्देश दे सकें।

उक्त शासंनादेश से प्रदेश में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत देय माना जाए अथवा नहीं, इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसे दूर किया जाना आवश्यक है।

उक्त शासनादेश में केन्द्रीय सूचना आयोग के जिस आदेश का हवाला दिया गया है वह 13 / 07 / 2006 का है तथा तब से अब तक विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों एवं प्रदेश के अपने सूचना आयोग के अनेक निर्णय इस संबंध में जारी हो चुके हैं। वैसे भी केन्द्रीय सूचना आयोग का कोई निर्णय स्वतः ही देश के सभी सूचना आयोगों पर लागू मान लिया जाए, ऐसा नहीं है। खासकर ऐसी स्थिति में जबकि उत्तराखण्ड सूचना आयोग एक से अधिक अवसरों पर इस संबंध में अपनी राय व्यक्त कर चुका है, छः साल पुराने केन्द्रीय सूचना आयोग के किसी फैसले का उद्धरण देते हुए ए.सी. आर. को सूचना के रूप में प्रदान करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का

आदेश जारी कर देना किसी भी स्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता।

प्रदेश के लोक प्राधिकारियों के संज्ञान के लिए आयोग ए.सी.आर. को 'सूचना' माना जाए अथवा नहीं, इस प्रश्न की विवेचना आयोग द्वारा विभिन्न माननीय न्यायालयों के आदेशों के आलोक में निम्नवत् की जा रही है :

सूचना के अधिकार के तहत ए.सी.आर. की प्रतिलिपियां मांगने के आवेदनों को मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा जा सकता है :

1. जबकि आवेदक स्वयं अपनी ए.सी.आर. की प्रतिलिपि मांग रहा हो,
2. जबकि आवेदक लोक सेवक हो तथा अपने कार्यालय / विभाग के कर्मचारियों / अधिकारियों की ए.सी.आर. मांग रहा हो,
3. जबकि कोई आवेदक भारत के नागरिक के रूप में किसी लोक सेवक की ए.सी.आर. मांग रहा हो।

जहॉ तक उपरोक्त बिन्दु '1' का प्रश्न है देवदत्त बनाम भारत सरकार आदि के वाद संख्या सिविल अपील संख्या 7631/2002 में सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश जस्टिस एच.के. सेमा तथा जस्टिस मार्कंडेय काटजू के आदेश की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख समीचीन होगा :

(क) प्रस्तर 13 : "हमारा मानना है कि किसी कर्मचारी को ए.सी. आर. की उसकी एंट्री की जानकारी न देना अन्यायपूर्ण है क्योंकि ऐसा करके उस कर्मचारी को अपनी एंट्री बेहतर बनाने के लिए प्रतिवेदन करने का अधिकारी छीना जा रहा है। हमारा मानना है कि हरेक कर्मचारी को, चाहे वह सिविल, न्यायिक पुलिस अथवा किसी अन्य सेवा का हो (सेना को छोड़कर) उसकी ए.सी.आर. के सभी इंद्राज बताए जाने चाहिए ताकि वह यदि चाहे तो उनके सुधार के लिए प्रतिवेदन कर सके।"

(ख) लोक सेवक को उसकी ए.सी.आर. की एंट्री "संसूचित न करना हमारी राय में एकतरफा कार्रवाई है अतः यह संविधान की धारा–14 के खिलाफ है।"

यदि उपरोक्त आदेशानुसार किसी लोक सेवक को ए.सी.आर. की उसकी स्वयं की एंट्री दिया जाना बाध्यता है तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत देने से प्रतिबंधित कैसे किया जा सकता है।

2. अब हम उस परिदृश्य पर विचार करेंगे जहॉ पर कोई लोक सेवक अपने विभाग के किसी अन्य लोक सेवकों की ए.सी.आर. की प्रतिलिपि मांग रहा हो :

ऐसी स्थिति में भी ए.सी.आर. की प्रतिलिपि देने से इंकार नहीं किया जा सकता। किंतु इस स्थिति में किसी अन्य लोक सेवक की ए.सी. आर. 'व्यक्तिगत सूचना' मानी जाएगी तथा इस सूरत में लोक सूचना अधिकारी द्वारा धारा–11 के तहत संबंधित 'तृतीय पक्ष' की सहमति लेनी होगी तथा सहमति न मिलने की सूरत में स्वयं अपने विवेक से निर्णय लेना होगा कि यह व्यक्तिगत सूचना दिया जाना आवश्यक है अथवा नहीं। यदि लोक सूचना अधिकारी यह निर्णय करें कि लोकहित में यह व्यक्तिगत सूचना दिया जाना जरूरी है तो भी सूचना दिए जाने से पहले 'तृतीय पक्ष' को अपील करने का अवसर प्रदान करना उचित होगा। यहॉ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि इस प्रकिया के लिए अतिरिक्त समय का प्रावधान नहीं है।

3. किसी गैर–लोक सेवक अथवा आम नागरिक द्वारा किसी लोक सेवक की ए.सी.आर. मांगें जाने पर भी उपरोक्त बिन्दु (2) की व्यवस्था ही लागू होगी। इस संदर्भ में उत्तराखण्ड सूचना आयोग के द्वारा अपील संख्या अ–7314/2012 में पारित दिनांक 08/06/2012 के निर्णय के निम्न बिन्दुओं का उल्लेख समीचीन होगा :

3.1 अरविंद केजरीवाल बनाम केन्द्रीय सूचना आयोग के वाद संख्या 6614 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय (AIR 2010 Delhi 216) ने स्पष्ट कहा है कि *"अधिकारियों की विगत की परफॉरमेंस वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज रहती है इसलिए इसे व्यक्तिगत सूचना ही माना जाएगा..... और यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी नहीं है तथा आम जनता के एक सदस्य के रूप में यह सूचना मांग रहा है तो इसे 'तृतीय–पक्ष' की सूचना ही माना जाएगा।"* 'तृतीय पक्ष' की सूचना प्रदान करने के लिए धारा–11 में प्रावधानित प्रकियाओं का पालन करना होगा।

धारा 11(1) में प्राविधानित है कि *"**जहॉ, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का, इस***

*अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया गया है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहाँ, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पांच दिन के भीतर ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा :*

*परन्तु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा में के सिवाए, यदि ऐसे प्रकटन में लोकहित, ऐसे पर व्यक्ति के हितों की किसी संभावित अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा।*

*3.2* उपरोक्त से स्पष्ट है कि यदि पर–व्यक्ति (तृतीय पक्ष) द्वारा व्यक्तिगत सूचना दिए जाने से इंकार किया जाता है तो लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने विवेक से यह निर्णय लिया जाएगा कि ऐसे *"प्रकटन में लोकहित, ऐसे प्रकटन से किसी पर–व्यक्ति (तृतीय पक्ष) के हितों की किसी संभावित अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है अथवा नहीं।"* सिर्फ इस कारण कि वह "तृतीय पक्ष" कीसूचना है, जिसमें ए.सी.आर. और सर्विस बुक शामिल है, उसे प्रतिबंधित करना उचित नहीं होगा।

3.3 माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने धारा 11(1) के प्रावधानों पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि **"ऐसी सूचनाओं के प्रकटन में निजता के अधिकार को लोकहित के सापेक्ष तोलने के लिए ही ऐसे प्रावधान आर.टी.आई. कानून में डाले गए हैं। इनमें से कौन भारी है इसका निर्धारण वाद के तथ्यों के आलोक में लोक सूचना अधिकारी को करना है।"** इसमें शक नहीं कि 'निजता' की सुरक्षा सभ्य सामाजिक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण अवयव है। किंतु वाद संख्या 8228/2007 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा है कि "निजता का अधिकार absolute अधिकार नहीं है जबकि सूचना का

अधिकार अधिनियम संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' का एक भाग है''। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) तथा 11(1) को माननीय उच्च न्यायालय की इसी टिप्पणी के आलोक में देखना चाहिए।

3.4 माननीय उच्च न्यायालयों के उपरोक्त निर्णयों के आलोक में यह स्पष्ट है कि निजता के अधिकार और लोकहित के बीच तुलना करते हुए लोक सूचना अधिकारियों को अत्यंत सावधानी के साथ अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इन सूचनाओं को, सिरे से प्रतिबंधित किया जाना, किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता।

आयोग का स्पष्ट मत है कि सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 08 जून, 2012 को जारी आदेश विधिसम्मत नहीं है। अतः आयोग की उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में संशोधित आदेश जारी किया जाना चाहिए।

4. उक्त के आलोक में अनुरोध है कि अधिकारियों / कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के सूचना के रूप में प्रकटन के सम्बन्ध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त संदर्भित निर्णय के क्रम में तत्काल संशोधित शासनादेश जारी कर उसकी एक प्रति आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवनिष्ठ,

**(एन. एस. नपलच्याल)**

**श्री आलोक कुमार जैन**
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून

प्रतिलिपि श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

**(एन. एस. नपलच्याल)**
**मुख्य सूचना आयुक्त**